# महाराष्ट्र शासन

# GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

## महाराष्ट्र राज्याचे मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण,

## राजकोषीय धोरणाच्या व्युहरचनेचे विवरणपत्र आणि प्रकटीकरणे

## २००९ - २०१०

# MEDIUM TERM FISCAL POLICY,

# FISCAL POLICY STRATEGY STATEMENT AND DISCLOSURES FOR MAHARASHTRA

# 2009-2010


वित्त विभाग

FINANCE DEPARTMENT

२००९

# अनुक्रमणिका


| तपशिल | पृ. क्र. |
|---|---|
| १. अनुपालन विषयक निवेदन | १ |
| २. नमुना क-१ मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण विवरणपत्र | २ ते ८ |
| ३. नमुना क-२ राजकोषीय धोरणाच्या व्युहरचनेचे विवरणपत्र | ९ ते १० |
| ४. प्रकटीकरणे | ११ ते २० |

# <u>अनुपालनविषयक निवेदन</u>

महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ (महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१६, २००५) च्या कलम ३ नुसार राज्य शासनाने राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहासमोर, प्रत्येक आर्थिक वर्षी, राजकोषीय धोरणाची खालील नमूद दोन विवरणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे :-

१) मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण विवरणपत्र.
२) राजकोषीय धोरणाच्या व्युहरचनेचे विवरणपत्र.

या आवश्यकतेनुसार, वरील दोन विवरणपत्रे राज्य विधानमंडळासमोर सादर करण्यात येत आहेत.

राजकोषीय घडामोडींमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकतेची शाश्वती देण्यासाठी याबाबतची प्रकटीकरणे लोकहितास्तव सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येत आहेत.

**दिलीप वळसे-पाटील**
वित्त मंत्री

दिनांक : ४.६.२००९.

# नमुना क - १
# मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण विवरणपत्र

**क. राजकोषीय निर्देशक -सरकती /आवर्तनी लक्ष्ये:**

महाराष्ट् राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियम, २००६(२००८ च्या सुधारणेसह) च्या नियम ६ अन्वये राजकोषीय व्यवस्थापनासाठीची तीन वर्षीय सरकती लक्ष्ये प्रत्येक वित्तीय वर्षात राज्य शासनाने विधीमंडळापुढे मांडणे आवश्यक आहे. लक्ष्ये ठरवितांना अर्थव्यवस्थेतील विचलनाच्या अनुषंगाने करावयाची राजकोषीय उपयायोजना लक्षात घेण्यात आलेली आहे.

खालील विवरणपत्रात मागील तीन वर्षांसाठींचे महत्वाचे राजकोषीय निर्देशक, सन २००९-१० ची अर्थसंकल्पीय आकडेवारी तसेच आगामी दोन वर्षांसाठीची सरकती लक्ष्ये दर्शविली आहेत :-

| बाब | प्रत्यक्ष खर्च | | अर्थसंकल्पीय अंदाज (अ अं) | सुधारित अंदाज (सु अं) | अर्थसंकल्पीय अंदाज (अ अं) | पुढील २ वर्षासाठीची लक्ष्ये/उद्दिष्टे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ |
| १. राज्य स्थुल उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार महसूली तूट | -०.१६ | -२.५० | -०.१५ | -०.६१ | ०.८९ | ०.४५ | ०.१८ |
| २. राज्य स्थुल उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार राजकोषीय तूट | २.२७ | -०.४८ | २.०० | २.३२ | ३.३३ | २.५० | २.५० |
| ३. राज्य स्थुल उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार कर महसूल | ९.०६ | ९.३३ | ८.७२ | ८.३३ | ७.४६ | ८.१६ | ८.३० |
| ४. राज्य स्थुल उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार एकूण संचित कर्जे | २६.२८ | २४.०९ | २२.७२ | २३.१२ | २३.२९ | २२.८५ | २२.४७ |
| ५. राज्य स्थुल उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार एकूण आकस्मिक दायित्वे | ८.४५ | ६.१० | ६.०९ | ५.१२ | ४.८० | ४.०२ | ३.५३ |
| ६. महसूली जमेच्या टक्केवारीनुसार आकस्मिक दायीत्वे | ६९.१२ | ४५.३३ | ५३.१७ | ४३.१० | ४२.९६ | ४०.५८ | ३५.८० |
| ७. महसूली जमेच्या टक्केवारीनुसार व्याज प्रदान | १९.२७ | १६.२५ | १६.२१ | १५.५० | १६.६९ | १९.४१ | १९.१६ |

टीप : राज्य स्थुल उत्पन्न हे चालू किंमतीवर आधारीत आहे.

## ख : राजकोषीय निर्देशकांची आधारभूत गृहितके

**१. स्थूल राज्य उत्पन्नातील वाढ** :

सन २००९-१० मध्ये वार्षिक स्थूल राज्य उत्पन्न रु. ७९७८४० कोटी इतके अपेक्षित असून सन २००८-०९ च्या तुलनेत यामध्ये १४.३६% वाढ दिसून येते. सन २००९-१० च्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या तिमाहीत सद्याच्या आर्थिक मंदीच्या परिस्थितीत बदल होण्याची अपेक्षा असून उच्च वृध्दी दर गाठला जाण्याची शक्यता आहे.

**२. महसूली जमा :**

**कर**

**मुल्यवर्धित कर :** सन २००८-०९ चे सुधारित अंदाज रु.२८४३९ कोटी इतके असून ते मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.२९०३९ कोटी पेक्षा २% ने कमी आहेत. आर्थिक मंदीचा परिणाम सन २००८-०९ च्या चौथ्या तिमाहीत दिसून आला. आर्थिक मंदीचे पूर्ण परिणाम सन २००९-१० मध्ये स्पष्ट होतील. त्यानुषंगाने सन २००८-०९ च्या शेवटच्या तिमाहीत प्राप्त जमेच्या आधारे सन २००९-१० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.२७००६ कोटी इतके निश्चित करण्यात आले आहेत. तथापी जर आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली तर सन २००९-१० च्या अर्थसकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त महसूल जमा होईल.

**मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क :** सन २००८-०९ चे सुधारित अंदाज रु.८६०० कोटी इतके असून ते मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.९६०० कोटी पेक्षा १०% ने कमी आहेत. विद्यमान आर्थिक मंदीचा स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावर झालेला गंभीर दुष्परिणाम यावरुन स्पष्ट होतो. मुंबई मध्ये जानेवारी, २००८ मध्ये १५४९८ इतक्या नोंदविण्यात आलेल्या दस्तांच्या संख्येत घट होऊन जानेवारी २००९ मध्ये १४१०५ इतके दस्त नोंदविण्यात आले आहेत. हे विद्यमान कोसळलेल्या बाजाराचे द्योतक आहे. सन २००९-१० साठीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांइतके म्हणजेच, रु.९६०० कोटी इतके ठेवण्यात आलेले आहेत.

**राज्य उत्पादन शुल्क:** सन २००८-०९ चे सुधारित अंदाज रु.४३०० कोटी इतके असून ते मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.४५०० कोटी या पेक्षा काहीसे कमी आहेत. सन २००९-१० साठीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.४८०० कोटी इतके असून ते सन २००८-०९ च्या सुधारित अंदाजांपेक्षा सुमारे १०%ने अधिक आहेत.

**मोटार वाहनांवरील कर :** वाहन विक्रीत घट झाल्यामुळे सन २००८-०९ साठीचे सुधारीत अंदाज रु.२२०० कोटी इतके आहेत व ते मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.२४२६ कोटी यापेक्षा जवळजवळ १०% ने कमी आहेत. सन २००९-१० साठीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.२६०० कोटी इतके आहेत.

**केंद्राकडून मिळणारा हिस्सा:** सन २००८-०९ च्या सुधारीत अंदाजानुसार केंद्राकडून मिळणाऱ्या केंद्रीय करातील हिस्स्यामध्ये रु.८९४५ कोटी इतक्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांवरुन रु.८०१५ कोटी इतकी घट करण्यात आलेली आहे. सन २००९-१० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज, सन २००९-१० च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधारे, रु.८५६८ कोटी इतके निश्चित करण्यात आलेले आहेत.

**एकूण कर महसूल:** सन २००८-०९ साठीचे एकूण कर महसुलाचे सुधारित अंदाज, केंद्रीय करातील हिस्स्यासह, रु.५८१०३ कोटी इतके निश्चित करण्यात आलेले असून ते मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.६०८३९ कोटीं याच्यापेक्षा सुमारे ४%ने कमी आहेत. सन २००९-१० साठीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.५९५५४ कोटी इतके आहेत.

**करेतर महसूल:**

**व्याज जमा-** सन २००८-०९ चे व्याज जमेचे असलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.१०८५ कोटी यात वाढ करुन ते सन २००८-०९ च्या सुधारित अंदाजानुसार रु. १२४५ कोटी इतके निश्चित करण्यात आले आहेत.

ही वाढ मुख्यत: रोख शिल्लक गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या व्याजामध्ये झालेल्या वाढीमुळे साध्य झालेली आहे. सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार रु.१२० कोटी इतकी रक्कम रोख शिल्लक गुंतवणूकीतून मिळणे अपेक्षित असताना सन २००८-०९ च्या सुधारित अंदाजानुसार या रकमेत वाढ होऊन आता रु.३०० कोटी इतकी रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे. सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार एकूण व्याज जमा रु.१११४ कोटी इतकी अपेक्षित आहे. यापैकी रु.४६७ कोटी इतकी रक्कम पाटबंधारे प्रकल्पांवर होणारा खर्च पुस्तकी समायोजनेद्वारे मिळण्याची अपेक्षा आहे.

**बृहन्मुंबईतील अतिरिक्त चटईनिर्देशांकाच्या ऐवजीचे अधिमुल्य -** या लेखयातील जमा मुख्यलेखाशिर्ष ०२१७ अंतर्गत जमा होत असून सन २००८-०९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.५० कोटी इतके आहेत व सन २००८-०९ चे सुधारित अंदाज रु.२३६ कोटी इतके आहेत. हा महसूल मुख्यत: शासकीय धोरणानुसार गृहनिर्माण प्रकल्पांना देण्यात आलेल्या वाढीव चटई निर्देशांकामुळे प्राप्त झालेला आहे.

**जलविद्युत निर्मितीपासून मिळणारा महसूल-** या लेख्यातील जमा मुख्यलेखाशिर्ष ०८०१-वीज या अंतर्गत होत असून यामध्ये सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाज रु. ४०० कोटीच्या तुलनेत सुधारित अंदाजानुसार रु.७९० कोटी इतकी वाढ अपेक्षित आहे. ही वाढ पेंच आणि सरदार सरोवर जलविद्युत प्रकल्पापासून मिळालेल्या वाढीव उत्पन्नामुळे झालेली आहे. सन २००९-१० साठीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.७७३ कोटी इतके आहे.

**एकूण करेतर महसूल-** सन २००८-०९ चे एकूण करेतर महसूलाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.६७१४ कोटी इतके होते तर सुधारित अंदाज रु.१०४६१ कोटी इतके आहेत. सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार करेतर महसूल रु.१३८९४ कोटी इतका अंदाजित आहे.

**केंद्र शासनाकडून मिळणारे अनुदान-** केंद्र शासनाकडून मिळणारी विद्यमान मदत, १२ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मिळणारे अनुदान, राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एआयबीपी सारख्या योजनांना मिळणारे केंद्रीय अनुदान आणि केंद्र पुरस्कृत योजना यांना मिळणाऱ्या केंद्रीय अनुदानात वाढ करण्यात आलेली असून सन २००८-०९ साठी रु.१२३५७ कोटी इतक्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांऐवजी आता सुधारित अंदाजानुसार रु.१४३०५ कोटी इतकी वाढ करण्यात आलेली आहे.

गृहनिर्माण, कृषी आणि ग्राम विकास कार्यक्रम या अंतर्गतच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांना अधिक निधी मिळणे अपेक्षित असल्याने ही वाढ झालेली आहे. सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार रु.१५६१२ कोटी इतकी रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये मुल्यवर्धीत कराच्या नुकसान भरपाईपोटी मिळणाऱ्या रु. ३८०८ कोटी इतक्या रकमेचा समावेश आहे.

**एकूण महसूली जमा-** सन २००८-०९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.७९९११ कोटीच्या तुलनेत सुधारित अंदाज रु.८२८७० कोटी इतके आहेत. केंद्र शासनाकडून वाढीव अनुदान मिळण्याची अपेक्षा आणि पाटबंधारे महामंडळाकडून एकदाच मिळणाऱ्या हमी शुल्कापोटीच्या रकमेमुळे ही वाढ झालेली दिसून येते. सन २००९-१० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.८९०६१ कोटी इतके आहेत.

**३. भांडवली जमा**

**खुल्या बाजारातील कर्जे** - सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार शासनाने खुल्या बाजारातून घ्यावयाच्या कर्जाची मर्यादा सुमारे रु. ५२९५ कोटी इतकी ठरविण्यात आली होती. तथापि, केंद्र शासनाने, राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतून मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा लक्षात घेऊन, खुल्या बाजारातून रु.६७६९ कोटी इतके कर्ज उभारण्याची परवानगी दिली आहे. याचबरोबर राजकोषीय उपाययोजनांच्याअंतर्गत रु.५६९८ कोटी इतके अतिरिक्त कर्ज उभारण्यास अनुमती दिलेली आहे. त्यामुळे सन २००८-०९ च्या सुधारीत अंदाजानुसार एकत्रित खुल्या बाजारातील कर्जाची रकम रु.१७७६२ कोटी इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार ही रकम रु.१९४७० कोटी इतकी अपेक्षित आहे. कर्जाच्या परतफेडीच्या अनुषंगाने सन २००८-०९ च्या सुधारीत अंदाजानुसार रु.७९४ कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार रु. ८८८ कोटी इतकी रकम अपेक्षित आहे. हे कर्ज ६.७३% ते ८.६४% इतक्या व्याज दराने उभारण्यात आलेले असून या व्याजाची भारीत सरासरी ७.८१५% इतकी आहे.

**राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतून मिळणाऱ्या जमा** - सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार या अंतर्गत रु. ८३०७ कोटी इतकी जमा अपेक्षित होती. तथापी, बँकांकडील मुदत ठेवींना अल्पबचत ठेवी प्रमाणेच कर सवलत देण्यात आल्याने अल्पबचत निधी व राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतून जमा होणारा व वर्गीकृत होणारा निधी यामध्ये घट झाली आहे. परिणामी, या मार्गाव्दारे सन २००८-०९ च्या सुधारीत अंदाजानुसार फक्त रु.१५३७ कोटी तर सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार रु.२००० कोटी इतकाच निधी मिळणे अपेक्षित आहे.

**वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभारणी** - सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत नाबार्डकडून रु.१००० कोटीची कर्ज उभारणी अपेक्षित असून सन २००९-१० मध्येही तेवढ्याच कर्जाची उभारणी होऊ शकेल.

**केंद्र शासनाकडून मिळणारे कर्ज** - १२ व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार राज्यांना केंद्रीय सहायाअंतर्गत मिळणारे कर्ज घेण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. त्यामुळे सन २००८-०९ च्या सुधारित

अंदाजानुसार रू.७६९ कोटी एवढी रकम मिळणे अपेक्षित असून यापैकी बाह्य सहायित प्रकल्पांसाठीचे कर्ज रु. ६५७ कोटी इतके आहे. सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार बाह्य सहायित प्रकल्पांसाठी रु.११५७ कोटीचे कर्ज उभारणे अपेक्षित आहे.

**कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी** - प्रचलित पध्दतीनुसार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी हा लोक लेख्यांचा एक भाग असून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी व गट विमा योजना यामध्ये जमा होणाऱ्या व संवितरित केल्या जाणाऱ्या निधीचा समावेश मुख्यलेखाशिर्ष ८००९ व ८०११ या अंतर्गत जमा होतो. या लेख्यांमध्ये जमा होणारा निव्वळ निधी हा राज्य शासनास कर्जाच्या स्वरुपात दिला जातो. सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार भविष्य निर्वाह निधीतून निव्वळ जमा होणारी रक्कम रु. ७७७ कोटी  इतकी अपेक्षित होती. सुधारित अंदाजानुसार त्यामध्ये रू.७८० कोटी असा बदल करण्यात आला आहे. सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ती  रु.१७७२ कोटी इतकी निर्धारीत करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रकम मुख्यलेखाशिर्ष ८३३६ या अंतर्गत जमा होत असून सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार रू.३०५१ कोटी इतकी निव्वळ जमा होणे अंदाजित आहे. नवीन परिभाषीत अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गतच्या रकमा मुख्यलेखाशिर्ष ८३४२-इतर जमा या लेख्यांतर्गत जमा होतात आणि कर्मचारी व राज्य शासन यांच्याकडून प्रत्येकी रू.७२ कोटी जमा होणे अंदाजित आहे.

**अदत्त दायित्वे-** शासनाची एकूण दायित्वे तक्ता ख-६ मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहेत. आकस्मिक दायित्वे तक्ता ख-३ मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहेत.

## महसूली खर्च

**व्याजप्रदाने -** सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, अर्थसंकल्पबाह्य कर्जाच्या व्याजाच्या प्रदानासह, रू.१२९५२ कोटींची व्याजप्रदाने अंदाजित होती तर सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ती रू.१४८६० कोटी इतकी निर्धारीत केली असून वाढीचा दर मागील वर्षापेक्षा १४% ने जास्त आहे. सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये महसूली जमेच्या १६.११% व्याजप्रदाने निश्चित करण्यात आली होती. सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार हे गुणोत्तर १६.६९% इतके आहे.

**वेतनावरील खर्च** - सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार वेतन व वेतनासाठी दिले जाणारे अनुदान यावरील खर्च रू.३२११६ कोटी इतका अंदाजित होता. तथापि, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणी करताना द्याव्या लागणाऱ्या फरकाची रक्कम अदा न केल्याने त्यामध्ये रू.२५५६७ कोटी अशी सुधारणा करण्यात आली. तथापि, सन २००९-१० मध्ये वेतनावरील खर्च रू.३४३४६ कोटी इतका अपेक्षित आहे. सन २००८-०९ च्या तुलनेत यामध्ये सुमारे ३३% वाढ अपेक्षित आहे. सन २००९-१० मध्ये निवृत्तीवेतन वगळून वेतनावरील खर्च हा महसूली जमेच्या ३८.५६% इतका अपेक्षित असून हा खर्च सन २००८-०९ च्या सुधारित अंदाजानुसार तो ३०.८५% इतका होता.

**निवृत्तीवेतन** - सन २००७-०८ मध्ये निवृत्तीवेतनावरील खर्च हा रु.४६८२ कोटी इतका होता. सन २००८-०९ च्या सुधारीत अंदाजानुसार हा खर्च रु.६३३१ कोटी इतका असून सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार तो रु.६८३१ कोटी इतका अपेक्षित आहे. ही वाढ प्रामुख्याने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे झाली आहे. सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार निवृत्ती वेतनावरील खर्च हा एकूण महसूली जमेच्या ७.६७% इतका आहे.

**अर्थसहाय्ये**

**ऊर्जा** -शेतकरी/यंत्रमागधारक यांना अर्थसहायीत शुल्काव्दारे पुरवठा करावयाच्या वीजेसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस द्यावयाच्या अनुदानापोटी सन २००८-०९ च्या सुधारित अंदाजानुसार रु.२२८२ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली असून सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पामध्ये ती रु.२०८२ कोटी इतकी करण्यात आलेली आहे.

**उद्योग -** सन २००८-०९ च्या सुधारीत अंदाजानुसार औद्योगिक घटकांना, महा औद्योगिक प्रकल्पांसहीत, अर्थसहाय्य करण्याकरीता रु.४६७ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली असून सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार रु.४०० कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.

**महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ -** विद्यार्थी, स्वातंत्र्यसैनिक इत्यादींना सवलतीच्या दराने प्रवास करण्यास मुभा देण्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास येणाऱ्या तोट्याची भरपाई राज्य शासनामार्फत केली जाते. सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांमध्ये या प्रयोजनार्थ रु.३०० कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, सन २००८-०९ च्या सुधारीत अंदाजानुसार, मागील कालावधीतील थकबाकी अदा करण्यासाठी, यामध्ये रु.७०० कोटी अशी वाढ करण्यात आली. सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये रु.३०० कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

**अन्नधान्य वितरण व इतर अनुषंगीक योजनांसाठी अर्थसहाय्य** - सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार या योजनांसाठी रु.२५५ कोटी इतके अनुदान अपेक्षित होते. सन २००८-०९ च्या सुधारीत अंदाजानुसार यामध्ये रु.५५७ कोटी इतकी वाढ झालेली आहे आणि सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये रु.२१८ कोटी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेले आहेत.

## भांडवली खर्च :

**जलसंपदा** : पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी सन २००८-०९ यावर्षी रु.६६६८ कोटी इतक्या भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती. तथापी शासनाच्या हमी शुल्काच्या थकीत रकमेच्या बदल्यात रु.३४३२ कोटीची एकदाच गुंतवणूक करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे सन २००८-०९ च्या सुधारित अंदाजामध्ये रु.१११८६ कोटी इतकी वाढ झाली आहे.

**रस्ते व पूल :** सन २००८-०९ यावर्षी रस्ते व पूल या क्षेत्रासाठी भांडवली खर्चाची तरतूद रु.१३९६ कोटी इतकी होती ती सुधारित अंदाजानुसार रु.१९८१ कोटी इतकी करण्यात आली आहे.

**ऊर्जा :** सन २००८-०९ मध्ये ऊर्जा प्रकल्पांसाठी भांडवली खर्च रु.६८२ कोटी इतका निर्धारित करण्यात आला होता तर सुधारित अंदाजानुसार यात वाढ होऊन तो रु.१४२५ कोटी इतका करण्यात आला आहे.

**एकूण भांडवली नियतव्यय :** सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये एकूण भांडवली नियतव्यय रु.१३४९२ कोटी इतका दर्शविण्यात आला होता. तथापी, सन २००८-०९ च्या सुधारित अंदाजानुसार तो रु.१९४८४ कोटी इतका झाला आहे. सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये सदर नियतव्यय रु.१९८०६ कोटी इतका निश्चित करण्यात आला आहे. यापैकी योजनांतर्गतचा भांडवली नियतव्यय रु.१७३३१ कोटी इतका आहे.

**गुंतवणूक आणि परतावा :**

सन २००७-०८ या आर्थिक वर्षात शासनाने विविध स्वायत्त महामंडळे, कंपन्या आदींमध्ये रु.४४२५६ कोटीची गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकीवर शासनास व्याज / लाभांश यांच्यारुपाने फक्त रु. १२२ कोटी प्राप्त झाले असून याचे एकूण गुंतवणुकीशी प्रमाण केवळ ०.२७% इतके आहे.

## क्षमतेचे निर्धारण

सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे राज्य शासनाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार रु.७१२३ कोटीची महसूली तूट अंदाजित आहे. सध्या सुरु असलेली विकास कामे व भांडवली प्रकल्प निधी अभावी रखडू न देणे हे शासनापुढील सध्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यामुळे नजिकच्या भविष्य काळात अतिरिक्त साधन संपत्तीची उभारणी करणे व अधिक कर्ज उभारणीवर अवलंबून राहणे आवश्यक ठरणार आहे.

वेतनातील सुधारणांमुळे पडणारा भार तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीमुळे केंद्राकडून भरीव आर्थिक मदत मिळाल्यास काही प्रमाणात हलका होऊ शकेल अशी अपेक्षा आहे. याचबरोबर वस्तू व सेवांवरील कर या नवीन करप्रणालीमुळे कर निर्धारणाची व्याप्ती वाढून न्यून पातळीवरील करमर्यादा व्यापक स्वरुपात आणल्यास आर्थिक विकासाचा दर वाढण्यास व त्यामुळे महसूली जमेत तरलता निर्माण होण्यास निश्चितपणे मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. कामे चालू असलेले पाटबंधारे प्रकल्प व ऊर्जा प्रकल्प पूर्णत्वास जावून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या महसुलात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मध्यम मुदतीत ( ३ ते ५ वर्षांच्या कालावधीत) वेतनावरील खर्चाच्या तुलनेत महसुलात अधिक वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याने राज्य शासनास महसुली अधिक्य प्राप्त करणे शक्य होणार आहे. व्याज व ऋण भारामध्ये पुढील दोन वर्षात वाढ होण्याची व त्यानंतर त्यात स्थिरता व हळूहळू घट होणे अपेक्षीत आहे.

**नमुना क-२**

**राजकोषीय धोरणाच्या व्यूहरचनेचे विवरणपत्र**
**(नियम ७ पहावा)**

**क. राज्याची अर्थव्यवस्था आणि राजकोषीय धोरणाचा आढावा :**

सन २००४-०५ पासून ते सन २००७-०८ पर्यंत देशाच्या स्थूल उत्पन्नात ९.५% पेक्षा जास्त वार्षिक दराने वृध्दी झाली आहे. याच कालावधीत महाराष्ट्र राज्याच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात ९.६% इतक्या वार्षिक दराने वाढ झाली आहे. याच कालावधीत राज्याच्या स्वत:च्या कर व करेतर महसूली उत्पन्नात आणि केंद्रीय अनुदानात देखील लक्षणीय वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकोषीय निर्देशकात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. व्याजाच्या परतफेडीचे महसूली उत्पन्नाशी असलेले गुणोत्तर २०% पेक्षा कमी झाले असून महसूली तूट पूर्णपणे नाहीशी करण्यात आली आहे.

तथापी, सन २००८-०९ हे वर्ष फारच अडचणीचे ठरले आहे. पेट्रोलीयम आणि इतर वस्तूंच्या किंमतीत अभूपूर्व वाढ झाली आणि या पाठोपाठ आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था मोठ्या आरिष्ठात सापडली. अशाप्रकारे सन २००८-०९ च्या पहिल्या सहामाहीत जबर भाववाढीचा ताण दिसून आला. त्यामुळे पुरवठ्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी केंद्र शासनास राजकोषीय उपाययोजना कराव्या लागल्या आणि त्याचबरोबर भारतीय रिझर्व्ह बॅकेस व्याजांच्या दरात आवश्यक ते बदल करावे लागले.

त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे सन २००८-०९ च्या दुसऱ्या सहामाहीत आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेस आर्थिक मंदीस तोंड द्यावे लागले आणि याचा भारतावरही लक्षणीय परिणाम झाला. अद्यावत आकडेवारीनुसार सन २००८-०९ मध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ६.५% ते ७% या दरम्यान असणे अपेक्षित आहे. आर्थिक वाढीत आलेल्या मंदीच्या परिणामी महसूल वाढीमध्येही माफक वृध्दी झाली आहे. विशेषत: मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्काव्दारे मिळणाऱ्या महसूली जमेच्या सन २००८-०९ साठीच्या रु.९६०० कोटी इतक्या अर्थसंकल्पिय अदाजांमध्ये घट करून सुधारीत अंदाजामध्ये ही रक्कम रु.८६०० कोटी इतकी करण्यात आली.

महसूली उत्पन्नाच्या वृध्दीत घट होत असतानाही शासनाने शेतकरी आणि दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजने अंतर्गत समाविष्ट न होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळच्या कर्जमाफी योजनेचा समावेश आहे. शासनाने राज्य शासकीय कर्मचारी, जिल्हापरिषद आणि इतर अनुदानित संस्था यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. ही सुधारणा १ जानेवारी, २००६ पासून लागू करण्यात येणार असली तरी या सुधारणेचा प्रत्यक्ष भार सन २००९-१० मध्ये पडणार आहे. अशाप्रकारे आर्थिक मंदी असतानाही सन २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत महसूली अधिक्यात अल्पशी वाढ झाली आहे. राजकोषीय तूटही स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३.५% इतक्या विहीत मर्यादेत सिमित ठेवण्यात आली आहे.

**ख. आगामी वित्तीय वर्षाकरीता राजकोषीय धोरण :**

आंतरराष्ट्रीय बिकट आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सन २००९-१० चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात करण्यात आलेल्या सुधारणांचा परिणामही सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात प्रतिबिंबीत झाला आहे. यामुळे महसूली संतुलनावर विपरित परिणाम झाला आहे. अशाप्रकारे सन २००८-०९ च्या सुधारित अंदाजानुसार रु.४२६३ कोटी इतक्या महसूली अधिक्याच्या तुलनेत सन २००९-१० साठीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात रु.७१२३ कोटी इतकी तूट दिसून येते. याचबरोबर योजनांतर्गत खर्चातील कपात टाळण्यासाठी जास्तीची कर्जे उभारणे आवश्यक राहील. बाराव्या वित्त आयोगाने कर्ज उभारणीसाठी निश्चित केलेल्या राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या ३% या मर्यादेत केंद्र शासनाने ३.५% इतकी वाढ केली आहे. याचा अर्थ जरी सार्वजनिक खर्चात वाढ होणे असा असला तरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कायम राखणे आणि त्यात वृध्दी करणे यासाठीचा तो एक प्रयत्न आहे. उच्च आर्थिक वृध्दी बरोबरच महसूलात भरीव वाढ आणि अल्प तूट राखणे या मार्गावर परत जाणे हे मध्यम मुदतीचे उद्दिष्ट आहे.

**ग आणि घ. आगामी वित्तीय वर्षातील धोरणात्मक प्राथम्ये व त्यांची संयुक्तिकता**
**कर विषयक धोरण**

**मूल्यवर्धित कर :** मूल्यवर्धित करप्रणालीमध्ये पुढील बाबींवर भर देण्यात येईल- (अ) करदात्यांसाठी या यंत्रणेचे सुलभिकरण करणे आणि तिच्या अनुपालनाबाबतचा करदात्यांवरील भार कमी करणे (ब)माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी चालना देणे (क) गुणवस्तु अल्पकर प्रवर्गामध्ये आणि अवगुणवस्तु उच्चकर प्रवर्गामध्ये वर्ग करण्यासाठी मूल्यवर्धित कराचे सुसूत्रीकरण करणे आणि (ड) अपिलातील प्रकरणे त्वरित निकाली काढून कर थकबाकी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

**राज्य उत्पादन शुल्क :** मद्य हे अवगुण वस्तु असुन त्याबाबत सद्या अस्तित्वात असलेल्या कर आकारणी पध्दतीमध्ये सुसूत्रीकरण करुन उत्पादन शुल्क स्थुल राज्य उत्पादनाच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात वाढविण्यात येईल.

**मोटार वाहनांवरील कर** : याबाबतच्या करपध्दतीमध्ये सुधारणा करुन महागड्या गाड्यांवर तुलनेने अधिक कर आकारण्यात येईल.

**खर्च विषयक धोरण :** मानव विकास निर्देशांकात वाढ व सुधारणेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी संतुलीत क्षेत्रीय वाटपाचे सध्याचे धोरण तसेच चालू ठेवण्यात येईल.

**शासकीय ऋण उभारणी :** शासकीय ऋण उभारणी स्थुल राज्य उत्पन्नाच्या ३.५% या मर्यादेमध्ये ठेवण्यात येईल. यापैकी बहुतांशी ऋण खुल्या बाजारातील योजनांमधून उभारण्यात येतात.

**आकस्मिकता व इतर दायित्वे :** या संदर्भात मूलभूत सुविधा व कृषी विषयक व्यवसायामध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्तेजन देण्यासाठी न्यायदृष्टीने हमी देण्याचे सध्याचे धोरण चालू ठेवण्यात येईल.

**धोरणाचे मूल्यमापन :** सहावा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे त्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून खर्चाची व्यापकता वाढल्याचे चित्र सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पामध्ये उमटले आहे. त्याच बरोबर शेती, मानव विकास आणि पायाभूत सुविधा यामधील सार्वजनिक गुंतवणूक कमी होणार नाही आणि अर्थव्यवस्था पूर्वीच्या उच्च आर्थिक वृध्दीच्या मार्गावर परत येईल याची खात्री करुन घेण्यात आलेली आहे.

# प्रकटन
## नियम ८ (१) (क) पहावा

**सन २००८-०९ मध्ये लेखांकन, मानके, धोरण व विहित राजकोषीय निर्देशकांच्या संगणना पद्धतीमध्ये कोणतेही महत्वाचे बदल करण्यात आलेले नाहीत.**

## नमुना ख - १

{ नियम ८ (१)(ख) पहा }

# वाढविलेला परंतू वसूल न झालेला कर महसूल (मुख्य कर)

(रुपये कोटीत)

| | | विवादास्पद रकमा | | | | | निर्विवाद रकमा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रधान शीर्ष | वर्णन | एक वर्षापेक्षा अधिक परंतू दोन वर्षापेक्षा कमी | दोन वर्षापेक्षा अधिक परंतु पाच वर्षापेक्षा कमी | पाच वर्षापेक्षा अधिक परंतू दहा वर्षापेक्षा कमी | दहा वर्षापेक्षा अधिक | एकूण | एक वर्षापेक्षा अधिक परंतू दोन वर्षापेक्षा कमी | दोन वर्षापेक्षा अधिक परंतु पाच वर्षापेक्षा कमी | पाच वर्षापेक्षा अधिक परंतू दहा वर्षापेक्षा कमी | दहा वर्षापेक्षा अधिक | एकूण | एकूण बेरीज |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| ००२८ | व्यवसाय, व्यापार आणि रोजगार यावरील कर | ०.७१ | ०.३७ | ०.०७ | ०.०४ | १.१९ | ४०६.५७ | ३०८.०१ | ३०१.५० | १०४.०० | ११२०.०८ | ११२१.२७ |
| ००४०* | मोटार स्पिरीट व वंगण यावरील करांसह विक्रीकर/ मुल्यवर्धित कर (व्हॅट) | ३३२८.९० | ३८४४.०६ | १२४१.९७ | १०४५.७८ | ९४६०.७१ | ४३५३.३० | १६७०.६० | १६०७.५७ | ५८९.७८ | ८२२१.२५ | १७६८१.९६ |
| ००४० | केंद्रीय विक्रीकर | २५१९.७५ | ६७८.७५ | १६८.७२ | ८६.६८ | ३४५३.९० | ७७९.३८ | ५६२.४० | ४७४.९३ | २१९.५५ | २०३६.२६ | ५४९०.१६ |
| ००४५ | चैनीच्या वस्तूंवरील कर | ३.६० | २.७८ | २३.५५ | ०.२१ | ३०.१४ | ५.२७ | ०.१० | ०.४५ | ०.०२ | ५.८४ | ३५.९८ |
| ००४२ | प्रवेश कर | ३.१२ | ६४.९३ | ३२.९४ | ०.४३ | १०१.४२ | ५.५९ | ०.२१ | ०.८२ | १३.१६ | १९.७८ | १२१.२० |
| ००२९ | जमीन महसूल | १६.०० | २४.०४ | ०.०५ | १.३३ | ४१.४२ | ८०.४० | ३६.४० | १३.६४ | ८.१७ | १३८.६१ | १८०.०४ |
| ००३० | मुद्रांक व नोंदणी फी | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ००४५ | करमणूक कर | ३.७१ | ६.२८ | ०.७२ | ०.१० | १०.८१ | २.३८ | २.७२ | ०.५९ | ०.०० | ५.६९ | १६.५० |
| ०८५३ | गौण खनिजे, इत्यादी | १३.८२ | २१.६७ | ४.३० | ५.०२ | ४४.८१ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ४४.८१ |
| ०८५३ | मुख्य खनिजे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ००३९ | राज्य उत्पादन शुल्क | ७.७० | १३.९४ | २२.७० | ०.५१ | ४४.८६ | ०.३३ | ०.१६ | ०.२३ | ०.२० | ०.९२ | ४५.७८ |
| ००४१ | वाहनांवरील कर | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १०.५१ | ३४.८२ | ३८.१७ | ४८.३१ | १३१.८० | १३१.८० |
| ००४२ | प्रवासी व माल वाहतुकीवरील कर | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५.०१ | १४.०३ | ११.२३ | १.७५ | ३२.०२ | ३२.०२ |
| ००४३ | विद्युत शुल्क | १.६७ | ०.१२ | ०.०४ | ०.०० | १.८३ | ०.१२ | २.०७ | ०.१८ | ०.०० | २.३८ | ४.२१ |
| | एकूण | ५८९८.९८ | ४६५६.९५ | १४९५.०७ | ११४०.१० | १३१९१.१० | ५६४८.८७ | २६३१.५२ | २४४९.२९ | ९८४.९४ | ११७१४.६३ | २४९०५.७२ |

टीप :- अ) मागील वर्षाच्या मार्च महिन्याअखेरच्या आकडेवारीनुसार अदत्त रक्कम.

*ब) उपलब्ध वसूलीमध्ये परिसमापित रकमा व बी.आय.एफ.आर. अंतर्गतच्या दाव्यातील रकमांचा समावेश आहे.

नमुना ख - २

{ नियम ८ (१)(ख) पहा}

# करेतर महसूलाची थकबाकी

(रुपये कोटीत)

| प्रधान शीर्ष | वर्णन | ०-१ वर्षापेक्षा कमी | एक वर्षापेक्षा जास्त परंतू दोन वर्षापेक्षा कमी | दोन वर्षापेक्षा जास्त परंतू पाच वर्षापेक्षा कमी | पाच वर्षापेक्षा अधिक | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| | **(क) व्याजाच्या जमा रकमा, लाभांश व नफा** | **०.०२** | **४.८५** | **१.६९** | **१६.०५** | **२२.६१** |
| ००४९ | व्याजाच्या जमा रकमा | ०.०० | ४.८४ | १.६८ | १६.०५ | २२.५७ |
| ००५० | लाभांश व नफा | ०.०२ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०० | ०.०४ |
| | **(ख) सर्वसाधारण सेवा** | **२४.१४** | **१३.७४** | **५४.२७** | **१३०.७८** | **२२२.९३** |
| ००५५ | पोलीस जमा रकमा | ६.१४ | ३.४४ | ३०.६४ | ८२.८८ | १२३.१० |
| ००५९ | सार्वजनिक बांधकामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.३९ | ०.३९ |
| | इतर सर्वसाधारण सेवा | १८.०० | १०.३० | २३.६३ | ४७.१२ | ९९.४४ |
| | **(ग) आर्थिक सेवा** | **२१.८०** | **८५.३७** | **१४१.४६** | **६६६.०६** | **९१४.६९** |
| ०८५३ | स्वामित्वधन जमा रकमा | १०.२७ | ३.५६ | २१.८७ | १०.१५ | ४५.८५ |
| ०४०४ | दुग्ध व्यवसाय विकास | ०.०२ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०२ |
| ०४०६ | वनीकरण व वन्य जीवन | ०.०२ | ०.०० | ०.०० | ३.८३ | ३.८६ |
| ०७०१ | मोठे व मध्यम पाटबंधारे | ८.५० | ८१.०० | ११९.४४ | ६५०.९८ | ८५९.९२ |
| ०४२५ | सहकार | २.९९ | ०.८१ | ०.१५ | १.१० | ५.०४ |
| | **(घ) इतर जमा रकमा (सामाजिक सेवा)** | **०.००** | **०.००** | **१८१.०८** | **०.००** | **१८१.०८** |
| | **एकूण** | **४५.९६** | **१०३.९६** | **३७८.५०** | **८१२.८९** | **१३४१.३०** |

नमुना ख - ३

{नियम ८ (१)(ग) पहा}

# शासनाने दिलेली हमी

| अ.क्र. | विभागाचे नाव | सन २००७-०८ प्रारंभीची अदत्त रक्कम (रुपये कोटीत) | २००७-०८ या वर्षभरात पडलेली भर ( रुपये कोटीत) | सन २००७-०८ या वर्षभरात कमी झालेल्या रकमा (मागणी केलेल्या रकमांव्यतिरीक्त रुपये कोटीमध्ये) | २००७-०८ वर्षात आवाहनीत रक्कम रुपये कोटीत | | २००७-०८ वर्ष अखेरीस अदत्त असलेली रक्कम (रुपये कोटीत) | २००७-०८ वर्षाअखेर एकूण हमीच्या नोंदी | हमीबद्दलचे कमिशन किंवा फी (रुपये कोटीत) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | दिलेली | न दिलेली | | | प्राप्य | सन २००७-०८ मध्ये प्राप्त रक्कम |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| १ | कृषि व पदुम विभाग | २४७.८८ | ०.०० | ५१.८० | ०.०० | ०.०० | १९६.०८ | १२ | | |
| २ | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (उद्योग) | १०२६.८७ | ०.०० | १५२.२० | ०.०० | ०.०० | ८७४.६७ | ३६ | | |
| ३ | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग | २९८.०५ | ०.०० | ११५.६२ | ०.०० | ०.०० | १८२.४३ | १७ | | |
| ४ | पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग | ८.८९ | ०.०० | २.४९ | ०.०० | ०.०० | ६.४० | १ | | |
| ५ | नगर विकास विभाग | २३६.७० | ०.०० | १२.११ | ०.०० | ०.०० | २२४.५९ | ६ | | |
| ६ | गृह निर्माण विभाग | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ० | | |
| ७ | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (ऊर्जा) | ९०१६.१५ | ४५०.०० | ४४९९.५८ | ०.०० | ०.०० | ४९६६.५७ | २६७ | | |
| ८ | जलसंपदा विभाग | ६५४०.८७ | ३३०.३८ | १३०७.९१ | ०.०० | ०.०० | ५५६३.३५ | ३९ | | |
| ९ | गृह विभाग | ८३.५६ | ०.०० | ५१.५१ | ०.०० | ०.०० | ३२.०५ | १ | ५११४.०२ | २०५.०५ |
| १० | सार्वजनिक बांधकाम विभाग | ३६९७.७८ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ३६९७.७८ | ७ | | |
| ११ | महसूल व वन विभाग | २.१३ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | २.१३ | ३ | | |
| १२ | आदिवासी विकास विभाग | ३९.५९ | ०.०० | १.८८ | ०.०० | ०.०० | ३७.७१ | २८ | | |
| १३ | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग | १६०१४.४० | २०८.४२ | ७८९.७२ | ०.०० | ०.०० | १५४३३.११ | ११८ | | |
| १४ | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग | १५३.३४ | ०.०० | ६.९१ | ०.०० | ०.०० | १४६.४३ | ३ | | |
| १५ | पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग | ४०५२.७८ | ०.०० | ८०९.९२ | ०.०० | ०.०० | ३२४२.८६ | १७३ | | |
| १६ | रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग | १८.६६ | ०.०० | १८.६६ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ० | | |
| १७ | अल्पसंख्यांक विकास विभाग | २२.३० | ०.०० | २.९४ | ०.०० | ०.०० | १९.३६ | १ | | |
| १८ | नियोजन विभाग | १५२८.९९ | ०.०० | ७९.८७ | ०.०० | ०.०० | १४४९.१२ | ४ | | |
| | एकूण | ४२९८८.९४ | ९८८.८० | ७९०३.१२ | ०.०० | ०.०० | ३६०७४.६२ | ७१६ | ५११४.०२ | २०५.०५ |

**टिप : १) वरिल माहिती विभागाने उपलब्ध करुन दिलेली सुधारित माहिती तसेच या विभागाकडे (वित्त) उपलब्ध असेलेली माहिती यावर आधारित आहे.**

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग हे नवीन विभाग निर्माण करण्यात आले आहेत.

**नमुना ख - ४**

( नियम ८(१)(घ)पहा )

## कर्मचाऱ्यांची संख्या व वेतनावरील खर्च यांचे विवरणपत्र

| कर्मचाऱ्यांचा प्रवर्ग | कर्मचाऱ्यांची संख्या | वेतनावरील खर्च (रूपये कोटीमध्ये) |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| क) शासन | ५८१०४५ | ८१९५.४७ |
| *ख) शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था | ७३११२२ | १२५८९.५० |
| ग) सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिटे | २५३३९८ | ५२८४.१७ |
| एकूण (क+ख+ग) | **१५६५५६५** | **२६०६९.१३** |

टीप :-* १)महानगरपालिकेला दिलेले अनुदान रूपये २१८ कोटी वगळून

२)वरिल आकडेवारी अस्थायी स्वरुपाची आहे.

नमुना ख - ५

( नियम ८ (१)(ङ) पहा )

## शासकीय खर्चाचे विवरणपत्र

(रूपये कोटीत)

| बाबींचे लेखाशिष | खर्चाची बाब * | प्रत्यक्ष (२००७-०८) | (सुधारीत अंदाज) (२००८-०९) | अर्थसंकल्पीय अंदाज (२००९-१०) |
|---|---|---|---|---|
| १ | वेतन | ८१९५.४७ | १०४०४.०५ | १२५७३.३२ |
| २ | मजूरी | ८९१.९१ | ५६३.१५ | २७५.२४ |
| ३ | अतिकालीक भत्ता | २.२४ | १४.३४ | २७.१८ |
| ४ | निवृत्तीवेतन विषयक खर्च | ४६८२.२९ | ६३३१.१५ | ६८३०.८० |
| ५ | बक्षिसे | १९.७३ | ३८.५८ | ६०६.३९ |
| ६ | दूरध्वनी, वीज ** | ०.०० | १२५.७३ | ११८.५४ |
| १० | कंत्राटी सेवा ** | ०.०० | ०.७१ | ६.२१ |
| ११ | देशांतर्गत प्रवासखर्च | २३२.६३ | २५८.३७ | २४१.६६ |
| १२ | विदेश प्रवासखर्च | ०.४३ | ०.३२ | ०.८५ |
| १३ | कार्यालयीन खर्च | ५००.८२ | ५५५.१९ | ७१०.२६ |
| १४ | भाडेपट्टी कर | ९५.१३ | ११२.१७ | १०५.८५ |
| १५ | स्वामित्वधन | ०.०१ | ०.०० | ०.०० |
| १६ | प्रकाशने | ७.१७ | १७.१२ | १४.२८ |
| १७ | संगणक खर्च | ३३.०३ | १०१.८२ | ५२.५६ |
| १८ | सुट्टीच्या दिवसाची भरपाई | ११.२३ | १२.४२ | २५.९१ |
| १९ | आहार खर्च | २३८.२८ | ३४१.२९ | २२९.०३ |
| २० | इतर प्रशासकीय खर्च | ०.८५ | १०.७८ | १.०८ |
| २१ | साहित्य व पुरवठा | २१६७.०३ | २७५१.८३ | २६५०.८६ |
| २२ | शस्त्रे व दारूगोळा | ३.३० | ५६.३१ | १२.७० |
| २४ | पेट्रोल व तेल वंगण | ८९.८१ | ८५.०७ | ८३.५२ |
| २५ | पोषाख व तंबू | १०.५२ | २४.८३ | ७.५९ |
| २६ | जाहिरात व प्रसिध्दी | ४०.३० | ४४.९६ | २३.८५ |
| २७ | गौण बांधकामे | २८६८.४६ | ३४०७.९४ | १६९८.४२ |
| २८ | व्यावसायिक सेवा | ५७.३७ | ९८.९८ | ७८.६४ |
| २९ | दुध खरेदी | ३७५.५९ | ५६३.०७ | ५४०.८६ |
| ३१/३५ | सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ** | १३७६८.०१ | १४८२०.११ | १९१९४.२९ |
| ३१ | सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)) | १३०३०.९९ | १६३६०.२० | ११९४०.०८ |
| ३२ | अंशदाने | ६८२९.४२ | १३२८.१३ | ९९४.५४ |
| ३३ | अर्थसहाय्य (वेतन) | २३.७८ | ८२८०.०७ | ६२८८.४१ |
| ३३ | अर्थसहाय्य (वेतनेतर) | ५२१६.५६ | ०.०० | ०.०० |
| ३४ | शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन | ८३२.३१ | १३६०.७९ | ७८८.४२ |
| ४१ | गुप्त सेवा खर्च | ३.२० | ३.५४ | १.७७ |
| ४२ | ठोक तरतूद | २३.९९ | ६३.९७ | २८९२७.०० |
| ४३ | निलंबन | १२.७५ | ४.९९ | १.५६ |
| ४५ | व्याज | १२६६३.४८ | १२७४१.३८ | १४८१८.३९ |
| ५० | इतर खर्च | १३०८.७८ | २१३६.२५ | १६६१.९२ |
| ५१ | मोटार वाहने | ६६.८८ | ९६.०८ | ३८.२२ |
| ५२ | यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री | ३१८.०४ | ७०२.०३ | ४४८.३३ |
| ५३ | प्रमुख बांधकामे | ३६५४.०४ | ५०५४.२९ | २९९६.९३ |
| ५४ | गुंतवणूका | २४९.७३ | १२१०१.१० | ३०९५.५६ |
| ५५ | कर्ज व आगाऊ रकमा | २१३६.१८ | २३४६.८३ | १८२१.५२ |
| ५६ | कर्जाची परतफेड | ४६९९.१० | ४०३०.७१ | ६७७१.५२ |
| ५७ | पशुधन | २.४७ | ३.०८ | १.७९ |
| ६१ | घसारा | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ६३ | आंतर लेखा हस्तांतरणे | ८५९.१४ | १५३२.०७ | १०१३.४४ |
| ६४ | निर्लेखित हानी | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
|  | एकूण बेरीज | **८६२२२.४७** | **१०८८८५.८०** | **१२६९१९.३०** |
| ७० | वजा वसूली | ३६७८.५५ | ५४२४.५७ | ४१५७.११ |
|  | **निव्वळ बेरीज** | **८२५४३.९२** | **१०३४६१.२३** | **१२२७६२.१९** |

टिप * भारत सरकारच्या सध्याच्या बाबनिहाय वर्गीकरणावर आधारित

** वर्ष २००६-०७ पासून नवीन बाबींची लेखा शिर्षे ( ६ व १० ) समाविष्ट करण्यात आली आले तसेच सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबींचे लेखाशिर्ष ३१/३५ मध्ये यसुधारणा करण्यात आली आहे.

## नमुना ख - ६

( नियम ८ (१)(च) *पहा* )

# शासनाची वेगवेगळ्या प्रकारची दायित्वे

(रुपये कोटीमध्ये)

| अ. क्र. | प्रकार | वर्षाच्या आरंभीच्या अदत्त रकमा | | आर्थिक वर्षामध्ये उभारलेली रक्कम | | आर्थिक वर्षामधील परतफेड / विमोचन | | वर्ष अखेरीस अदत्त रकमा | | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | २००७-०८ (प्रत्यक्ष रकमा) | २००८-०९ सुधारीत अंदाज | २००७-०८ (प्रत्यक्ष रकमा) | २००८-०९ सुधारीत अंदाज | २००७-०८ (प्रत्यक्ष रकमा) | २००८-०९ सुधारीत अंदाज | २००७-०८ (प्रत्यक्ष रकमा) | २००८-०९ सुधारीत अंदाज | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| १ | केंद्राकडून घेतलेली कर्जे | ८५४२.३० | ८४५८.८३ | ३२९.२१ | ७६८.७४ | ४१२.६८ | ४२०.५३ | ८४५८.८३ | ८८०७.०४ | .. |
| २ | राष्ट्रीय अल्पबचत निधीला (NSSF) विक्री केलेले विशेष कर्जरोखे | ७१३७५.९४ | ७२८५१.४२ | २१८८.०१ | १५३७.५८ | ७१२.५३ | ११०९.७८ | ७२८५१.४२ | ७३२७९.२२ | .. |
| ३ | वित्तीय संस्था / बँका यांच्याकडून घेतलेली कर्जे | ६३१९.५९ | ६३४८.५५ | ७७१.५४ | १२६६.४६ | ७४२.५८ | ६९९.०१ | ६३४८.५५ | ६९१५.९४ | .. |
| ४ | बाजारातून घेतलेली कर्जे | २०९०६.३८ | २८५४७.६१ | ८५१८.९० | १७७६१.९३ | ८७७.६७ | ८९७.६४ | २८५४७.६१ | ४५४११.९० | .. |
| ५ | अर्थोपाय रकमा / भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून घेतलेले अधिकर्ष ओव्हरड्राफ्ट) | ०.०० | ०.०० | १९५३.६३ | ९०३.७४ | १९५३.६३ | ९०३.७४ | ०.०० | ०.०० | .. |
| ६ | भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी | ९४११.०६ | १००९५.७६ | २०५९.९६ | २२५६.९७ | १३७५.२६ | १४७६.५० | १००९५.७६ | १०८७६.२३ | .. |
| ७ | राखीव ठेवी | १०३७४.६८ | १०८६६.४५ | २१११.१३ | २८२५.३२ | १६१९.३६ | १९८३.०४ | १०८६६.४५ | ११७०८.७३ | .. |
| ८ | अर्थसंकल्पात अंतर्भूत नसलेली कर्जे | ६७९३.०० | ५२१४.०० | ०.०० | ०.०० | १५७९.०० | ९३७.०० | ५१४६.६४ | ४२७७.०० | .. |
| | **एकूण** | **१३३७२२.९५** | **१४२३८२.६२** | **१७९३२.३८** | **२७३२०.७४** | **९२७२.७१** | **८४२७.२४** | **१४२३८२.६२** | **१६१२७६.१२** | **..** |

| नमूना ख - ७<br>( नियम ८ (१) (छ) पहा)<br>अदत्त संकीर्ण दायित्वे<br>(रूपये कोटीत) | |
|---|---|
| बाबीचे वर्णन | वर्ष अखेरीच्या अदत्त रकमा (वर्ष २००७-०८) |
| (१) | (२) |
| क: प्रमुख बांधकामे, कंत्राटे व पुरवठा | १७३५.३५ |
| ख : पंचायती राज संस्थांसह विविध संस्थांना देय असलेल्या अनुदानांची थकबाकी | ६१.३४ |

केवळ प्रत्येकी १ कोटी रूपयांवरील प्रमुख बांधकामे व कंत्राटे

## नमुना ख - ८

{(नियम ८ (१) (ज) पहा }

## फलनिष्पत्तीवर आधारीत गुंतवणूकांचे प्रकार (खर्च)

| अ.क्र. | क्षेत्र | निर्देशक | युनिटांचे वर्णन | २००७-०८ या वर्षात खर्च केलेली एकूण रक्कम | २००७-०८ या वर्षातील एकूण युनिटे | २००७-०८ या वर्षातील प्रति युनिट खर्च झालेली रक्कम | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| १ | रस्ते | प्रति युनिट रस्त्यांकरीता खर्च केलेली रक्कम<br>डांबरीकरण : नवीन बांधकाम | रू. (लाख) /- रस्ते किलोमीटरमध्ये | रू. ६१११६.९३ लाख | २२००.०० रस्ते कि.मी. | रू. २७.७८ लाख/ रस्ते कि.मी. | रस्ते कि.मि. चे नुतनीकरण |
| | | डांबरीकरण : केवळ डांबरीकरण व खडीकरणासाठी | | रू. ८०४५२ लाख | ४२५० रस्ते कि.मी. | रू.१८.९३ लाख/ रस्ते कि.मी. | |
| २ | | पक्क्या रस्त्यांकरीता | | रू. २७६५५.६० लाख | २३२४ रस्ते कि.मी. | रू. ११.९० लाख/ रस्ते कि.मी. | |
| ३ | | सिमेंट काँक्रिटीकरण | | रू. १०५२.०३ लाख | १२.०० रस्ते कि.मी. | रू. ८७.६७ लाख/ रस्ते कि.मी. | |
| ४ | इमारती | वापरयोग्य केलेल्या नवीन इमारती क्षेत्रासाठी प्रति युनिट खर्च केलेली रक्कम | रू. /चौ.मी. | रू. ७२७०.११ लाख | ६६०९२ चौ.मी. | रू.११०००/- चौ.मी. | |
| ५ | पाटबंधारे | निर्माण केलेल्या अतिरीक्त जल साठ्याच्या प्रति युनिटसाठी खर्च केलेली रक्कम | रू.(लाख) /दशलक्ष घन मीटर | रू. ३४२३३० लाख | ११९०.९१ दशलक्ष घन मीटर | रू.२८७.४५ लाख / दशलक्ष घन मीटर | अतिरिक्त पाणी साठा निर्मिती दक्षलक्ष घन मिटर |
| ६ | | लाभक्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रति युनिट खर्च केलेली रक्कम | रू. (लाख) / हेक्टर्स | रू.४८२५०० लाख | १५४९८० हेक्टर | रू. ३.११ लाख / हेक्टर | सिंचन क्षमतेतील वाढ हेक्टरमध्ये |
| ७ | पाणलोट क्षेत्रे | काम चालु असलेल्या पाणलोट क्षेत्रांपैकी पूर्ण झालेल्या पाणलोट क्षेत्रांवर प्रति युनिट खर्च करण्यात आलेली रक्कम | रू. / पूर्ण झालेली पाणलोट क्षेत्रे | रू..५३२६ लाख | पाणलोट क्षेत्रांची संख्या ४५२ | रू.११.७८ लाख / पाणलोट क्षेत्र | |
| ८ | | काम चालू असलेल्या पाणलोट क्षेत्रांवर प्रति युनिट खर्च करण्यात आलेली रक्कम | रू. / काम चालू असलेली पाणलोट क्षेत्रे | रू. ४०८३४ लाख | पाणलोट क्षेत्रांची संख्या २६६९९ | रू. १.५३ लाख / पाणलोट क्षेत्र | |
| ९ | वीज | निर्माण करण्यात आलेली वीज | रू. / निर्माण वीज युनिटांमध्ये | रू. ८०६५७.९८०४ लाख | ४८२८९ युनिट | रू. १.६७० युनिट | |
| १० | | खरेदी केलेली वीज | रू. / खरेदी केलेली वीज युनिटांमध्ये | रू.१७००६३९ लाख | ७८५९७ दशलक्ष युनिट | रू. २.१६४ युनिट | |
| ११ | | देयकांतर्गत वीज युनिटांमध्ये | रू. / देयकांतर्गत वीज | रू.२८२४१७८ लाख | ५३४३१३ युनिट | रू. ५.२९ युनिट | |
| १२ | | गोळा केलेल्या वीजेची टक्केवारी | त्या देयकांतर्गत गोळा केलेल्या वीजेचे प्रमाण % मध्ये | रू. १९६३०४५ लाख (गोळा केलेली ) | रू.२०१५८६१ लाख (देयकांतर्गत) | ९७% | |

**नमुना ख - ९**

( नियम ८(१) (झ) पहा)

## फलनिष्पत्तीवर आधारीत गुंतवणूक (महसूल)

**निवडक विभागांकडून गोळा करण्यात आलेला महसुल**

| अ.क्र. | विभाग | गोळा करण्यात आलेल्या महसुलाचे निर्देशक | युनिटांचे वर्णन | २००७-०८ या वर्षी गोळा झालेल्या एकूण रकमा | २००७-०८ या वर्षातील युनिटे | २००७-०८ या वर्षात प्रति युनिट गोळा केलेला महसूल | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| १ | वनीकरण | वन क्षेत्रामधून | वन क्षेत्रातून प्रति हेक्टर गोळा केलेला महसूल | रू. १९५.४२ कोटी | ५५३६७०० हेक्टर्स | रू.३५३/- हेक्टर | .. |
| २ | विक्रीकर | विक्रीकरातून | १०० X स्थूल राज्य उत्पादनाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात गोळा झालेला महसूल | रू.२९२७१.५३ कोटी | चालू दरातील स्थूल राज्य उत्पन्न | ४.९५ % चालू दरातील स्थूल राज्य उत्पन्न | .. |
| ३ | व्यवसायकर | व्यवसायकरातून | १०० X स्थूल राज्य उत्पादनाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात गोळा झालेला महसूल | रू. १४८३.८८ कोटी | | ०.२५ % चालू दरातील स्थूल राज्य उत्पन्न | .. |
| ४ | प्रवासी व माल वाहतूकीवरील कर | माल व उतारु यावरील करातून | १०० X स्थूल राज्य उत्पादनाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात गोळा झालेला महसूल | रू. ३८८..२७ कोटी | | ०.०७ % चालू दरातील स्थूल राज्य उत्पन्न | .. |
| ५ | विद्युत शूल्क | विद्युतशुल्कातून | १०० X स्थूल राज्य उत्पादनाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात गोळा झालेला महसूल | रू. २६६५.१३ कोटी | | ०.४५ % चालू दरातील स्थूल राज्य उत्पन्न | .. |
| ६ | उत्पादन शुल्क | उत्पादनशुल्कातून | १०० X स्थूल राज्य उत्पादनाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात गोळा झालेला महसूल | रू. ३९६३.०५ कोटी | | ०.६७ % चालू दरातील स्थूल राज्य उत्पन्न | .. |
| ७ | मुद्रांक व नोंदणी | मुद्रांक व नोंदणी शुल्कातून | १०० X स्थूल राज्य उत्पादनाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात गोळा झालेला महसूल | रू. ८५३८ कोटी | | १.४४% चालू दरातील स्थूल राज्य उत्पन्न | .. |
| ८ | वाहनावरील कर | (१) (हलक्या) कमी वजनाच्या मोटारी यामधून | १०० X स्थूल राज्य उत्पादनाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात गोळा झालेला महसूल | रू. १११५ कोटी | | ०.१९ % चालू दरातील स्थूल राज्य उत्पन्न | .. |
| ९ | | (२) (अवजड मोटार वाहनामधून) | | रू. १०२८ कोटी | | ०.१७% चालू दरातील स्थूल राज्य उत्पन्न | .. |

टिप : अर्थ व साख्यिकी संचालनालयाकडून प्राप्त झालेल्या सन २००७-०८ या वर्षाचे स्थूल राज्य उत्पन्न (चालू किंमत) रु. ५९०९९५ इतकी आहे.

# CONTENTS

---

**DETAILS OF STATEMENTS PAGE NO.**

---


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Statement of Compliance | 1 |
| 2. | Form A -1 Medium Term Fiscal Policy Statement | 2 - 10 |
| 3. | Form A-2 Fiscal Policy Strategy Statement | 11-13 |
| 4. | Disclosure Forms | 14-23 |


---

## STATEMENT OF COMPLIANCE

**The Section 3 of the Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act, 2005 (Maharshtra Act No.XVI of 2005) requires the State Government to place before both the Houses of the State Legislature, in each financial year, the following statement of fiscal policy, namely :**

- **The Medium Term Fiscal Policy Statement**
- **The Fiscal Policy Strategy Statement.**

**The above two statements are being laid before the legislature in compliance with the above requirement.**

**The Disclosure Statements to ensure greater transparency in the State Government's fiscal operations in public interest are also placed on the table of the House.**

**Dilip Walse-Patil**
**Finance Minister**

**04-06-2009.**

# FORM A-1.

## Medium Term Fiscal Policy Statement

**(See Rule 6 )**

### A: Fiscal Indicators – Rolling Targets:

As per the Rule 6 of the Maharashtra Fiscal Responsibility & Budgetary Management Rules, 2006 (as amended in 2008) the State Government is required to lay before the State Legislature, in every financial year the three years rolling target for fiscal management. The need for counter cyclical fiscal measures has been kept in mind while fixing the targets.

The statement showing the important fiscal indicators for the previous three years. the budgeted figures for the 2009-10, as well the rolling targets for the following two years is placed below:

| Item | Actuals | | | | Budget Estimates (BE) | Targets For Next two Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budget Estimates (BE) | Revised Estimates (RE) | | | |
| | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. Revenue Deficit as percentage of GSDP | -0.16 | -2.50 | -0.15 | -0.61 | 0.89 | 0.45 | 0.18 |
| 2. Fiscal Deficit as percentage of GSDP | 2.27 | -0.48 | 2.00 | 2.32 | 3.33 | 2.50 | 2.50 |
| 3. Tax Revenue as percentage of GSDP | 9.06 | 9.33 | 8.72 | 8.33 | 7.46 | 8.16 | 8.30 |
| 4. Total Debt Stock as percentage of GSDP | 26.28 | 24.09 | 22.72 | 23.12 | 23.29 | 22.85 | 22.47 |
| 5. Total Contingent Liabilities as percentage of GSDP | 8.45 | 6.10 | 6.09 | 5.12 | 4.80 | 4.02 | 3.53 |
| 6. Total Contingent Liabilities as percentage of Revenue Receipts | 69.12 | 45.33 | 53.17 | 43.10 | 42.96 | 40.58 | 35.80 |
| 7. Interest Payment as percentage of Revenue Receipts | 19.27 | 16.25 | 16.21 | 15.50 | 16.69 | 19.41 | 19.16 |

**Note: -** 'GSDP' is Gross State Domestic Product at Current Prices.

# B:**Assumptions underlying the Fiscal Indicators**

## 1. **GSDP Growth**

The annual GSDP in 2009-10 is expected to be Rs.797840 crore showing an increase of 14.36% nominally over the year 2008-09. It is expected that we may see an end to the present slow down conditions by the last quarter of financial year 2009-10 and once again move to a higher growth trajectory.

## 2. **Revenue Receipts**.

### **Taxes**

**Value Added Tax -** The Revised Estimates for 2008-09 is kept at Rs. 28439 crore, being 2% lower than the original Budget Estimates of Rs. 29039 crore. The effect of slow down in growth became perceptible only in the 4th quarter of 2008-09 and the full effect of slow down is likely to be seen in 2009-10. Accordingly Budget Estimates 2009-10 has been pegged at Rs. 27006 crore on the basis of collections seen in the last quarter of 2008-09. However, if economic conditions improve, the collections may exceed the Budget Estimates 2009-10.

**Stamp & Registration Duties -** The Revised Estimates for 2008-09 are at Rs. 8600 crore, being almost 10% lower than the original Budget Estimates of Rs. 9600 crore. This reflects the very substantial effect of the present slowdown on the real estate sector. The number of transactions registered in Mumbai has come down from15498 in January 2008 to14105 in January 2009, an indication of the present subdued market conditions. The Budget Estimates for 2009-10 is kept at Rs. 9600 crore, the same level as this year's Budget Estimates.

**State Excise Duties -** The Revised Estimates 2008-09 at Rs. 4300 crore were somewhat lower than the Budget Estimates of Rs. 4500 crore. The estimates for Budget 2009-10 are at Rs. 4800 crore reflecting approximately 10 % rise over Revised Estimates 2008-09.

**Motor Vehicle Tax -** Slow down in sales of vehicles required the Revised Estimates 2008-2009 to be kept at Rs. 2200 crore, almost 10% below the original Budget Estimates of Rs. 2426 crore. The Budget Estimates for 2009-10 are at Rs. 2600 crore.

**Devolution from Central Government -**Devolutions have been revised downword in Revised Estimates 2008-09 to Rs. 8015 crore as against Rs. 8945 crore in Budget Estimates 2008-09. The Budget Estimates for 2009-10, based on the Union Budget for 2009-10, have been kept at Rs. 8568 crore.

**Total Tax Receipts -** Tax Receipts including Devolution are estimated at Rs. 58103 crore in Revised Estimates 2008-09, about 4% lower than the Original Budget Estimates of Rs. 60839 crore. The Budget Estimates for 2009-10 is at Rs. 59554 crore.

**Non-Tax Revenue** :

**Interest Receipts -** Interest Receipt as per Revised Estimates 2008-09 are kept at Rs. 1245 crore, up from Rs. 1085 crore in the Budget Estimates 2008-09.

The increase is mainly on account of higher interest receipts from investment of Cash Balances, moving up to Rs. 300 crore in Revised Estimates 2008-09 from an estimated Rs. 120 crore in Budget Estimates 2008-09. Total interest receipts have been budgeted at Rs. 1114 crore in Budget Estimates 2009-10. Of this, Rs. 467 crore is expected to be received by way of book entries by debiting expenditure to irrigation projects.

**Premium in lieu of additional FSI in Greater Mumbai -** Receipts under this head, accounted under MH 0217 are estimated at Rs. 236 crore in Revised Estimates 2008-09 as against Rs. 50 crore in Budget Estimates 2008-09. These collections are mainly on account of allotment of additional F.S.I. to housing schemes as per Government policy.

**Receipts from Hydel Generation -** Receipts under this head, accounted for under MH.0801 Power, are estimated to go up to Rs. 790 crore as against an estimated Rs. 400 crore. The increase is due to increased receipts from Pench and Sardar Sarovar Hydel Projects. The Budget Estimates for 2009-10 is at Rs. 773 crore.

**Total Non Tax Revenue**: Total Non-Tax Revenue in Revised Estimates 2008-09 are at Rs. 10461 crore up from Budget Estimates 2008-09 of Rs. 6714 crore. Non-Tax Revenue is estimated at Rs.13894 crore in Budget Estimates 2009-10.

**Grant-in-Aid from Central Government :** Grant-in-aid from Central Government on account of Normal Central Assistance, XIIth Finance Commission Grants, Central Support to specified State Schemes under programmes Like AIBP and Centrally Sponsored Schemes has been revised upward at Rs. 14305 crore in Revised Estimate 2008-09 as against Rs. 12357 crore in Budget Estimate 2008-09. The increase is on account of higher expected grants for Centrally Sponsored Schemes under Housing, Crop Husbandry and Rural Development Programme. Receipts are estimated at Rs.15612 crore in Budget Estimates 2009-10. These include an estimated receipt of Rs.3808 crore, by way of compensation on account of introduction of V.A.T.

**Total Revenue Receipts** :Total Revenue Receipts in Revised Estimates 2008-09 are at Rs. 82870 crore as against Budget Estimate of Rs. 79911 crore. The increase is due to higher expected grants from Central Government and one time receipt of guarantee fee from Irrigation Corporations. A receipt of Rs. 89061 crore is budgeted in Budget Estimates 2009-10.

## 3. **Capital Receipts**

**Market Loans -** As per Budget Estimate 2008-09, approximately Rs. 5295 crore were expected to be raised by way of market loans. However, the Central Government allowed additional market borrowings against shortage in loans from NSSF amounting to Rs. 6769 crore and a further Rs. 5698 crore, as a part of the fiscal stimulus package. Thus the total OMB have been pegged at Rs. 17762 crore in Revised Estimates 2008-09. Receipts under the head have been kept at Rs. 19470 crore in Budget Estimates 2009-10. Repayments have been estimated at Rs. 794 crore in Revised Estimates 2008-09 and at Rs. 888 crore. in Budget Estimates 2009-10. The rates at which the loan were raised ranged from 6.73% to 8.64% with a weighted average of 7.815%.

**Receipts under NSSF -** These were estimated at Rs. 8307 crore in Budget Estimates 2008-09. However, the collection of small savings and consequent transfers

from NSSF have come down as fixed deposits of banks have been given the same tax concessions as small savings instruments. As a result, only Rs. 1537 crore are expected to be raised through the route as per Revised Estimates 2008-09. Budget Estimates for 2009-10 are at Rs. 2000 crore.

**Loan from Financial Institutions -** As per Budget Estimates 2008-09, a total of Rs. 1000 crore was expected to be received from NABARD under the RIDF Schemes. The receipts are expected at the same level in 2009-10.

**Loan from Central Government -** As per the recommendations of XIIth Finance Commission, States need not compulsorily avail of the loan portion of Normal Central Assistance. Thus, of the estimated receipts of Rs. 769 crore under this head in Revised Estimates 2008-09 as much as Rs. 657 crore is loan under Externally Aided Projects. Loan for Externally Aided Projects has been estimated as Rs.1157 crores in Budget Estimates 2009-10.

**Employees Provident Fund -**As per the prevailing practice, Employees Provident Fund forms a part of the Public Account and receipts and disbursements of provident fund and group insurance scheme are accounted for under MH 8009 and 8011 for State Government Employees. The net receipts under these heads are treated as a loan advanced to the State Government As per Budget Estimates 2008-09 net provident receipts under these heads were expected to be Rs 777 crore. This was revised to Rs. 780 crores in Revised Estimates 2008-09. The Budget Estimates for 2009-10 are at Rs. 1772 crore. The provident fund of Zilla Parishad employees is accounted under MH 8336 & net receipts for Budget Estimates 2009-10 are at Rs. 3051 crore. The contribution of employees and State Government under the new Defined Contribution Pension Scheme is accounted under 8342 Other Receipts and is estimated at Rs.72 crore each for employees and State Government.

**Outstanding Liabilities** : The total stock of Government liabilities is shown in Table B-6. Contingent liabilities have been shown in Table B-3

## Revenue Expenditure

**Interest Payments** -Interest Payments including interest on off-budget debt were estimated at Rs. 12952 crore in Budget Estimates 2008-09. These are now estimated Rs. 14860 crore in Budget Estimates 2009-10 representing a growth of 14 % over the previous year. Interest payments were estimated at 16.11% of Revenue Receipts in Budget Estimates 2008-09. As per Budget Estimates 2009-10 it is 16.69 % of Revenue Receipts.

**Salary Payment** - Salary payment, including grant-in-aid for salaries were expected to be Rs.32116 crore in Budget Estimate 2008-09. The same were revised downwards to Rs 25567 crore, mainly on account of deferment of payment of arrears on account of the Sixth Pay Commission Award. However, the salary payment for 09-10 are estimated at Rs. 34346 crore. This represent an increase of 33% in salaries over 2008-09 Salary expenditure excluding pensions, as a proportion of revenue receipts is expected to be 38.56 % for 2009-10 as against 30.85 % in Revised Estimates 2008-09 .

**Pension** -Pension payments as per actuals of 2007-08 were Rs. 4682 crore. As Revised Estimates 2008-09, this is Rs. 6331 crore and Rs. 6831 crore as per Budget Estimates 2009-10. This increase is due to revision of pension consequent to the award of the Sixth Pay Commission. Pensions as per Budget Estimates 2009-10, constitutes 7.67 % of the estimated revenue receipts.

## Subsidies

**Power** - Compensation to Maharashtra State Electric Distribution Company for subsidised tariffs to agricultural/power loom users has been budgeted at Rs. 2282 crore in Revised Estimates 2008-09 and Rs. 2082 crore in Budget Estimates 2009-10.

**Industry** - Subsidy to industrial units including mega industrial projects has been budgeted at Rs. 467 crore in Revised Estimates 2008-09 and Rs. 400 crore in Budget Estimates 2009-10.

1**State Transport Corporation** - The State Government reimburses the loss to the State Road Transport Corporation for carrying certain categories of passengers such as students, freedom fighters etc. at lower fares. This subsidy was at Rs. 300 crore in Budget Estimates 2008-09. This was enhanced to Rs. 700 crore in Revised Estimates 2008-09 to clear past arrears. It is kept at Rs. 300 crore in Budget Estimates 2009-10.

**Food grain transactions and other related schemes** : Subsidy for these was at Rs. 255 crore in Budget Estimates 2008-09. This has gone up to Rs. 557 crore in Revised Estimates 2008-09 and is at Rs. 218 crore in Budget Estimates 2009-10.

## Capital Expenditure

**Irrigation** - Capital expenditure on Irrigation Projects was budgeted at Rs.6668 crore in the year 2008-09. This increased to Rs. 11186 crore in Revised Estimates 2008-09 partly on account of a one time capital infusion of Rs. 3432 crore matched by a corresponding recovery of outstanding guarantee fee.

**Roads and Bridges** - Capital expenditure on Roads and Bridges was at Rs. 1396 crore in Budget Estimates 2008-09 and was revised upwards to Rs. 1981 crore in Revised Estimates 2008-09.

**Power** - Capital expenditure for Power Projects was at Rs. 682 crore in Budget Estimates 2008-09 and revised upwards to Rs. 1425 crore in Revised Estimates 2008-09

**Total Capital Outlay** - Total capital provision in Budget Estimates 2008-09 was Rs. 13492 crore and was revised to Rs. 19484 crore in Revised Estimates 2008-09. crore. The total capital provision in the year 2009-10 is at Rs. 19806 crore. Of this Rs.17331 crore is Plan Capital Outlay.

### Investment and Returns

The total investment of Government in various statutory corporations, companies etc was at Rs. 44256 crore at the end of 2007-2008. The return on this investment by way of interest/ dividends was Rs. 122 crore, being just 0.27 % of the total investments.

## Assessment of Sustainability.

The revision of salaries consequent to the award of Sixth Pay Commission has caused an upward shift in the expenditure trajectory. Revenue deficit has been estimated at Rs. 7123 crore in Budget Estimates 2009-10. The immediate task before the Government is to ensure that ongoing development and capital works do not get delayed because of a squeeze on resources. In the immediate future, this would require additional revenue mobilisation and also possibly a higher reliance on borrowings.

It is expected that impact of the salary revision would be somewhat offset by the expected increase in central transfers due to the award of the 13th Finance Commission. It is also expected that the introduction Goods and Services Tax would introduce buoyancy in revenues both by widening the tax base and by stimulating economic growth due to lower compliance costs and lower effective tax rates on a wider base. The completion of ongoing irrigation projects and power project is expected to increase revenues directly and indirectly. In the medium term ( 3 to 5 years), it is expected that higher growth in revenues as compared to expenditure on salaries would enable the State Government to achieve a revenue balance. Interest and Debt burden is expected to rise over the next two years but stabilise and then reduce gradually thereafter.

**FORM A - 2**

# Fiscal Policy Strategy Statement

**(See Rule 7)**

## A. State's Economy & Fiscal Policy Overview

The country saw an impressive growth of over 9.5% p.a. in Gross Domestic Product during the years 2004-05 to 2007-08. Keeping with this trend, the Gross State Domestic Product for Maharashtra also grew at over 9.6 % p.a. in that period. This period also saw a significant step up in the growth of State's own tax and non-tax revenues and in transfers from the Central Government. In this backdrop, fiscal indicators improved considerably. The ratio of interest outgo to Revenue Receipts fell below 20% and Revenue Deficit was eliminated.

However, 2008-09 has turned out to be a difficult year There was an unprecedented rise in petroleum prices and other commodity process followed by a severe crisis in the international financial system, Thus, the first half of 08-09 witnessed severe inflationary pressures necessitating fiscal measures from Government of India for easing supply constraints and interest rate adjustments by the Reserve Bank of India.

More importantly the global economy faced recessionary trends in the second half of 2008-09 and this had a significant impact in India as well. The latest GDP growth in 2008-09 is now expected to be in the range of 6.5% to 7%. The slowdown in economic growth also caused a moderation of growth in revenues. Specifically, collection of Stamp Duties and Registration Fees, had to be scaled down from Rs. 9600 crore in Budget Estimates 2008-09 to Rs. 8600 crore in 2008-09 (Revised Estimates).

Despite this slowdown in revenues, Government has taken substantial measures for the welfare of farmers and other weaker sections. This includes a one time loan waiver for the farmers who were not covered under the Government of India scheme of loan waiver. Government has also decided to revise the salaries of the employees of State Government, Zilla Parishad and other aided institutions based on the

recommendation of the Sixth Pay Commission. The revision is effective from 01.01.2006, although the actual impact of this revision will be felt only in the year 2009-10. Thus despite economic slow down, there is some improvement in Revenue surplus over the 2008-09 (BE) figures. Fiscal Deficit is also contained within the 3.5% of GSDP.

## B. Fiscal Policy for the ensuing financial year

The Budget for 2009-10 is being presented in the backdrop of continued difficult global economic situation. At the same time, the effect of revision of salaries of employees consequent to the report the Sixth Pay Commission is reflected in the Budget Estimates for 2009-10. This has seriously disturbed the revenue balance. Thus, the Budget Estimates for 2009-10 shows a revenue deficit of Rs.7123 crore as against a surplus of Rs.4263 crore in Revised Estimates for 2008-09. At the same time, to avoid a squeeze on plan expenditure, it would be necessary to resort to more borrowing. Government of India has already increased the ceiling on borrowings to 3.5% of GDP as against 3% mandated by the 12th Finance Commission. The attempt is to ensure that the growth momentum in the economy is maintained and even increased, even though this may mean increased public expenditure. The medium term objective would be to revert back to the trajectory of high economic growth with consequent high growth in revenues and low deficits.

## C & D. Strategic priorities for the ensuing year and its Rationale

**Tax Policy**:

**Value Added Tax-** The emphasis is on (a) making the system more tax payer friendly and to reduce the compliance burden on the tax payers (b) accelerate the use of information technology. (c) Rationalise Value Added Tax rates by moving merit good to lower tax categories and demerit goods to higher rates and (d) attempt to reduce the arrears of tax by quick disposal of appeals.

**State Excise -** Alcohol is a demerit good and the current taxation regime will be rationalised to increase the excise tax to GSDP ratio.

**Motor Vehicle Tax** - Taxation would be rationalised to ensure a proportionate higher burden on more expensive cars.

**Expenditure Policy** - The present policy of balanced sectoral allotment to achieve both growth and improvement in Human Development Index would continue.

**Government Borrowings** - Borrowings would be contained within the ceiling of 3.5% of GSDP. Most of it would be raised through the Open Market Borrowing programme.

**Contingent and other Liabilities** - The present policy of making a judicious use of guarantees to catalyse investment in infrastructure and agro- business would continue.

**Policy Evaluation** - Budget 2009-10 reflects the inevitable upward shift in expenditure trajectory due to the award of the Sixth Pay Commission. At the same time, it has been ensured that public investment in Agriculture, Human Development and Infrastructure is not squeezed and it is expected that the economy soon reverts to its high growth path.

# DISCLOSURES

**See Rule 8(1)(a)**

**There are no significant changes in Accounting, Standards, Policies, and Practices in the year 2008-09.**

# FORM B-1

( See Rule 8 (1)(b) )

## TAX REVENUES RAISED BUT NOT REALISED (PRINCIPAL TAXES)

(Rs in crore)

| | | Amounts under dispute | | | | | Amounts not under dispute | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Major Head** | **Description** | **Over one year but less than two years** | **Two years and above but less than 5 years** | **Five years and above but less than ten years** | **Ten years and above** | **Total** | **Over one year but less than two years** | **Two years and above but less than 5 years** | **Five years and above but less than ten years** | **Ten years and above** | **Total** | **Grand Total** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0028 | Taxes on Professions, Trades and Employment | 0.71 | 0.37 | 0.07 | 0.04 | **1.19** | 406.57 | 308.01 | 301.50 | 104.00 | **1120.08** | **1121.27** |
| 0040* | Sales Tax/ VAT including taxes on Motor Spirits and Lubricants | 3328.90 | 3844.06 | 1241.97 | 1045.78 | **9460.71** | 4353.30 | 1670.60 | 1607.57 | 589.78 | **8221.25** | **17681.96** |
| 0040 | Central Sales Tax | 2519.75 | 678.75 | 168.72 | 86.68 | **3453.90** | 779.38 | 562.40 | 474.93 | 219.55 | **2036.26** | **5490.16** |
| 0045 | Luxury Tax | 3.60 | 2.78 | 23.55 | 0.21 | **30.14** | 5.27 | 0.10 | 0.45 | 0.02 | **5.84** | **35.98** |
| 0042 | Entry Tax | 3.12 | 64.93 | 32.94 | 0.43 | **101.42** | 5.59 | 0.21 | 0.82 | 13.16 | **19.78** | **121.20** |
| 0029 | Land Revenue | 16.00 | 24.04 | 0.05 | 1.33 | **41.42** | 80.40 | 36.40 | 13.64 | 8.17 | **138.61** | **180.04** |
| 0030 | Stamps and Registration Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| 0045 | Entertainment Tax | 3.71 | 6.28 | 0.72 | 0.10 | **10.81** | 2.38 | 2.72 | 0.59 | 0.00 | **5.69** | **16.50** |
| 0853 | Minor Minerals, etc. | 13.82 | 21.67 | 4.30 | 5.02 | **44.81** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **44.81** |
| 0853 | Major Minerals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| 0039 | State Excise | 7.70 | 13.94 | 22.70 | 0.51 | **44.86** | 0.33 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | **0.92** | **45.78** |
| 0041 | Taxes on Vehicles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 10.51 | 34.82 | 38.17 | 48.31 | **131.80** | **131.80** |
| 0042 | Taxes on Goods and Passengers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 5.01 | 14.03 | 11.23 | 1.75 | **32.02** | **32.02** |
| 0043 | Electricity Duties | 1.67 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | **1.83** | 0.12 | 2.07 | 0.18 | 0.00 | **2.38** | **4.21** |
| | **Total** | **5898.98** | **4656.95** | **1495.07** | **1140.10** | **13191.10** | **5648.87** | **2631.52** | **2449.29** | **984.94** | **11714.63** | **24905.72** |

Note :- a) The outstanding amount pertains to the end March figure for the previous year

*b) Available recovery includes amount involved in liquidation and B.I.F.R. cases.

# FORM B-2

( See Rule 8 (1)(b) )

## ARREARS OF NON-TAX REVENUE

(Rs. In Crore)

| Major Head | Description | Less than one year | One year and above but less than two years | Two years and above but less than five years | Five years and above | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | **(A) Interest Receipts, Dividends and Profits** | **0.02** | **4.85** | **1.69** | **16.05** | **22.61** |
| 0049 | Interest Receipts | 0.00 | 4.84 | 1.68 | 16.05 | 22.57 |
| 0050 | Dividends and Profit | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| | **(B ) General Services** | **24.14** | **13.74** | **54.27** | **130.78** | **222.93** |
| 0055 | Police Receipts | 6.14 | 3.44 | 30.64 | 82.88 | 123.10 |
| 0059 | Public Works | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 |
| | Other General Services | 18.00 | 10.30 | 23.63 | 47.12 | 99.44 |
| | **(C ) Economic Services** | **21.80** | **85.37** | **141.46** | **666.06** | **914.69** |
| 0853 | Royalty Receipts | 10.27 | 3.56 | 21.87 | 10.15 | 45.85 |
| 0404 | Dairy Development | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 0406 | Forestry and Wild Life | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 3.86 |
| 0701 | Major and Medium Irrigation | 8.50 | 81.00 | 119.44 | 650.98 | 859.92 |
| 0425 | Co-operation | 2.99 | 0.81 | 0.15 | 1.10 | 5.04 |
| | **(D) Other Receipts (Social Services)** | **0.00** | **0.00** | **181.08** | **0.00** | **181.08** |
| | **Total** | **45.96** | **103.96** | **378.50** | **812.89** | **1341.30** |

## FORM B-3

**{See Rule 8(1) (c)}**

### Guarantees given by the Government

| Sr. No. | Name of the Department | Outstanding at the beginning of the previous year 2007 2008 (Rs. Crores) | Additions during the year 2007-2008 (Rs. Crores) | Deletions (other than invoked) in the year 2007-2008 (Rs. Crores) | Invoked during the year 2007-2008 (Rs. Crores) | | Outstanding at the end of the year 2007-2008 (Rs. Crores) | Total guarantee entries at the end of 2007-2008 | Guarantee commission or fee (Rs. Crores) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Discharged | Not Discharged | | | Receivable | Received |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Agriculture and ADF Department | 247.88 | 0.00 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 196.08 | 12 | 5114.02 | 205.05 |
| 2 | Industry, Energy & Labour Department (Industry) | 1026.87 | 0.00 | 152.20 | 0.00 | 0.00 | 874.67 | 36 | | |
| 3 | Social Justice and Special Assistance Department | 298.05 | 0.00 | 115.62 | 0.00 | 0.00 | 182.43 | 17 | | |
| 4 | Tourism and Cultural Affairs Department | 8.89 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 1 | | |
| 5 | Urban Development Department | 236.70 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 224.59 | 6 | | |
| 6 | Housing Department | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 7 | Industry, Energy & Labour Department (Energy) | 9016.15 | 450.00 | 4499.58 | 0.00 | 0.00 | 4966.57 | 267 | | |
| 8 | Water Resources Department | 6540.87 | 330.38 | 1307.91 | 0.00 | 0.00 | 5563.35 | 39 | | |
| 9 | Home Department | 83.56 | 0.00 | 51.51 | 0.00 | 0.00 | 32.05 | 1 | | |
| 10 | Public Works Department | 3697.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3697.78 | 7 | | |
| 11 | Revenue & Forest Department | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 3 | | |
| 12 | Tribal Development Department | 39.59 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 37.71 | 28 | | |
| 13 | Co-operation, Marketing & Textile Department | 16014.40 | 208.42 | 789.72 | 0.00 | 0.00 | 15433.11 | 118 | | |
| 14 | Rural Development & Water Conservation Department | 153.34 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 146.43 | 3 | | |
| 15 | Water Supply & Sanitation Department | 4052.78 | 0.00 | 809.92 | 0.00 | 0.00 | 3242.86 | 173 | | |
| 16 | Employment & Self Employment Department | 18.66 | 0.00 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 17 | Minority Development Department | 22.30 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 19.36 | 1 | | |
| 18 | Planning Department | 1528.99 | 0.00 | 79.87 | 0.00 | 0.00 | 1449.12 | 4 | | |
| | **TOTAL** | **42988.94** | **988.80** | **7903.12** | **0.00** | **0.00** | **36074.62** | **716** | **5114.02** | **205.0531** |

**Note : -** **Information based on the Revise figures made available by the concerned administrative deptts and information available with this department (F.D.).**

**Tourism and Cultural Affairs Department & Minority Development Department are newely formed.**

## FORM B-4

**( See Rule 8(1d) )**

### Statement on the Number of Employees and Salary Expenditure

| Category of Employees | Number of Employees | Salary Expenditure( in Crores) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| **A )Government** | 581045 | 8195.47 |
| ***B ) Government Aided Institutions** | 731122 | 12589.50 |
| **C ) Public Sector Units** | 253398 | 5284.17 |
| **Grand Total(A+B+C)** | **1565565** | **26069.13** |

Note :-1) Excluding grant of Rs.218 Crore paid to Municipal Bodies
2) Figures are Provisional

## FORM B-5

**( See Rule 8(1)(e) )**

**Statement of Government Expenditure**

(Rs.in crore)

| | Object Head/Object of Expenditure * | Actuals (2007-08) | RE (2008-09) | BE (2009-10) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salaries | 8195.47 | 10404.05 | 12573.32 |
| 2 | Wages | 891.91 | 563.15 | 275.24 |
| 3 | Overtime Allowance | 2.24 | 14.34 | 27.18 |
| 4 | Pensionary Charges. | 4682.29 | 6331.15 | 6830.80 |
| 5 | Rewards | 19.73 | 38.58 | 606.39 |
| 6 | Telephone, Elect.** | 0.00 | 125.73 | 118.54 |
| 10 | Contractual Ser ** | 0.00 | 0.71 | 6.21 |
| 11 | Domestic Travel Expenses | 232.63 | 258.37 | 241.66 |
| 12 | Foreign Travel Expenses | 0.43 | 0.32 | 0.85 |
| 13 | Office Expenses. | 500.82 | 555.19 | 710.26 |
| 14 | Rent/rates and taxes. | 95.13 | 112.17 | 105.85 |
| 15 | Royality | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Publications | 7.17 | 17.12 | 14.28 |
| 17 | Computer Expenses. | 33.03 | 101.82 | 52.56 |
| 18 | Off-Day Compensation | 11.23 | 12.42 | 25.91 |
| 19 | Diet Charges | 238.28 | 341.29 | 229.03 |
| 20 | Other Administrative Expenses. | 0.85 | 10.78 | 1.08 |
| 21 | Supplies and Materials. | 2167.03 | 2751.83 | 2650.86 |
| 22 | Arms and Ammunition. | 3.30 | 56.31 | 12.70 |
| 24 | Petrol,Oil,Lubericants | 89.81 | 85.07 | 83.52 |
| 25 | Clothing and Tents. | 10.52 | 24.83 | 7.59 |
| 26 | Advertising and Publicity. | 40.30 | 44.96 | 23.85 |
| 27 | Minor Works | 2868.46 | 3407.94 | 1698.42 |
| 28 | Professional Services. | 57.37 | 98.98 | 78.64 |
| 29 | Purchase of Milk. | 375.59 | 563.07 | 540.86 |
| 31/35 | Grants-in-aid (salary) ** | 13768.01 | 14820.11 | 19194.29 |
| 31 | Grants-in-aid(non -salary) | 13030.99 | 16360.20 | 11140.08 |
| 32 | Contributions | 6829.42 | 1328.13 | 994.54 |
| 33 | Subsidies(salary) | 23.78 | 8280.07 | 6288.41 |
| 33 | Subsidies(non-salary) | 5216.56 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Scholarships/Stipend. | 832.31 | 1360.79 | 788.42 |
| 41 | Secret Service Expenditure. | 3.20 | 3.54 | 1.77 |
| 42 | Lump-sum Provision. | 23.99 | 63.97 | 28927.00 |
| 43 | Suspense | 12.75 | 4.99 | 1.56 |
| 45 | Interest | 12663.48 | 12741.38 | 14818.39 |
| 50 | Other Charges. | 1308.78 | 2136.25 | 1661.92 |
| 51 | Motor Vehicles | 66.88 | 96.08 | 38.22 |
| 52 | Machinery and Equipment. | 318.04 | 702.03 | 448.33 |
| 53 | Major Works. | 3654.04 | 5054.29 | 2996.93 |
| 54 | Investments | 249.73 | 12101.10 | 3095.56 |
| 55 | Loans and Advances. | 2136.18 | 2346.83 | 1821.52 |
| 56 | Re-Payment of loans | 4699.10 | 4030.71 | 6771.52 |
| **57** | Livestock | 2.47 | 3.08 | 1.79 |
| 61 | Depreciation. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Inter-Account Transfer. | 859.14 | 1532.07 | 1013.44 |
| 64 | Write-off Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Grand total** | **86222.47** | **108885.80** | **126919.30** |
| 70 | Deduct Recoveries. | 3678.55 | 5424.57 | 4157.11 |
| | **Net Total** | **82543.92** | **103461.23** | **122762.19** |

*** Based on latest objectwise classification as per Govt. of india.**

**** New object Heads (06,10) have been added from the year 2008-09.**

**Also the object Head for Grants-in-aid (salary) modified from 31/35**

# FORM B-6

**( See Rule 8(1)(*f*) )**

**COMPONENTS OF GOVERNMENT LIABILITIES**

**(Rs. In Crore)**

| No. | Category | Outstanding Amount at beginning of the year | | Raised during the Fiscal Year | | Repayment/ Redemption during the Fiscal Year | | Outstanding Amount at the end of the year | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 (Actual) | 2008-09 RE | 2007-08 (Actual) | 2008-09 RE | 2007-08 (Actual) | 2008-09 RE | 2007-08 (Actual) | 2008-09 RE | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Loans from Centre | 8542.30 | 8458.83 | 329.21 | 768.74 | 412.68 | 420.53 | 8458.83 | 8807.04 | |
| 2 | Special Securities issued to the NSSF | 71375.94 | 72851.42 | 2188.01 | 1537.58 | 712.53 | 1109.78 | 72851.42 | 73279.22 | |
| 3 | Borrowings from Financial Institutions/Banks | 6319.59 | 6348.55 | 771.54 | 1266.46 | 742.58 | 699.01 | 6348.55 | 6915.94 | |
| 4 | Market Borrowings | 20906.38 | 28547.61 | 8518.90 | 17761.93 | 877.67 | 897.64 | 28547.61 | 45411.90 | |
| 5 | Ways and Means /OD from RBI | 0.00 | 0.00 | 1953.63 | 903.74 | 1953.63 | 903.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Providend Funds, etc | 9411.06 | 10095.76 | 2059.96 | 2256.97 | 1375.26 | 1476.50 | 10095.76 | 10876.23 | |
| 7 | Reserve Deposits | 10374.68 | 10866.45 | 2111.13 | 2825.32 | 1619.36 | 1983.04 | 10866.45 | 11708.73 | |
| 8 | Off-Budget Borrowings | 6793.00 | 5214.00 | 0.00 | 0.00 | 1579.00 | 937.00 | 5214.00 | 4277.00 | |
| | **TOTAL** | **133722.95** | **142382.62** | **17932.38** | **27320.74** | **9272.71** | **8427.24** | **142382.62** | **161276.12** | |

## FORM B-7

**( See Rule 8 (1) (g)**

## MIscellaneous Liabilities Outstanding

**(Rs. in crore)**

| Items | Outstanding Amount at the end of year 2007-08 |
|---|---|
| (1) | (2) |
| A: Major works, contracts and supplies | 1735.35 |
| B: Arrears of grants payable to various institutions including Panchayat Raj | 61.34 |

**Only Major Works and Contracts above Rs.one crore each**

## FORM B-8

**( See Rule 8 (1) (*h*) )**

**Quality of Investments Based on Outcomes (Expenditure)**

| No. | Sector | Indicator | Description of Units | Total amount spent in year 2007-08 | Total Units in year 2007-08 | Amount Per Unit in year 2007-08 | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Roads | Amount spent per unit of Roads<br>Asphalting : New Construction | Rs (Lakhs) / Lane kilometers | Rs.61116.93 Lakhs | 2200.00 Lane Kms- | Rs.27.78 Lakhs/ Lane kilometers | Lane Kilometers resurfaced |
| | | Asphalting: Black Topping only | | Rs.80452 Lakhs | 4250 Lane Kms- | Rs.18.93 Lakhs/ Lane kilometers | |
| 2 | | Water-bound macadam | | Rs.27655.60 Lakhs | 2324 Lane Kms- | Rs. 11.90 Lakhs/ Lane kilometers | |
| 3 | | Cement concrete | | Rs.1052.03 Lakhs | 12.00 Lane Kms | Rs 87.67 Lakhs/ Lane kilometers | |
| 4 | Buildings | Amount spent per unit new builiding area made usable | Rs / Sq .mt | Rs.7270.11 Lakhs | 66092 sq.mt | Rs.11000/- per sq.mt | |
| 5 | Irrigation | Amount spent per unit of additional water storage created | Rs (Lakhs) / million meter cube | Rs 342330 Lakhs | 1190.91 Mm3 | Rs.287.45 Lakhs / Mm3 | Additional water storage created in million meter cube |
| 6 | | Amount spent per unit increase in command area | Rs (Lakhs) / hectares | Rs.482500 Lakhs | 154980 hectares | Rs 3.11Lakhs / hectares | Command area increased in hectares |
| 7 | Watersheds | Amount spent per unit on watersheds completed | Rs / watershed completed | Rs.5326 Lakhs | No. 452 of watersheds | Rs.11.78 Lakhs / watershed | |
| 8 | | Amount spent per unit on watersheds in progress | Rs./ watersheds work in progress | Rs.40834 Lakhs | No. 26699 of watersheds | Rs. 1.53 Lakhs / watershed | |
| 9 | Power | Power Generated | Rs / unit Generated | Rs 80657.9804 Lakhs | 48289 units | 1.670 Rs/unit | |
| 10 | | Power Purchased | Rs / unit Purchased | Rs.1700639 Lakhs | 78597 mill.units | 2.164 Rs /unit | |
| 11 | | Power Billed | Rs / unit Billed | Rs.2824178 Lakhs | 534313 units | 5.29 Rs /unit | |
| 12 | | Percentage collection | % collected of that billed | Rs. 1963045 Lakhs (collected) | Rs.2015861 Lakhs (Billed) | 97% | |

**FORM B -9**

**( See Rule 8(1) (i) )**

**Quality of investments based on outcomes (Revenue)**

**Revenue collection from select sections**

| No. | Sector | Indicator Revenue Collected | Description of Units | Total Amount Collected In Year 2007-08 | Unit In Year 2007-08 | Revenue Collected Per Unit In Year 2007-08 | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Forestry | From forest area | Revenue collected per hectares of forest area | Rs.195.42 crore | 5536700 hec | Rs.353/-per Hectare | |
| 2 | Sales Tax | From Sales Tax | 100 x revenue collected as a % of GSDP | Rs 29271.53 crore | GSDP | 4.95 % of GSDP | |
| 3 | Professional Tax | From Professional Tax | 100 x revenue collected as a % of GSDP | Rs.crores 1483.88 | | 0.25 % of GSDP | |
| 4 | Tax on Goods and passenger | From Tax on Goods and passenger | 100 x revenue collected as a % of GSDP | Rs. Crores 388.27 | | 0.07 % of GSDP | |
| 5 | Electricity Duty | From Electricity Duty | 100 x revenue collected as a % of GSDP | Rs. Crores 2665.13 | | 0.45 % of GSDP | |
| 6 | Excise Duty | From Excise Duty | 100 x revenue collected as a % of GSDP | Rs.crores 3963.05 | | 0.67 % of GSDP | |
| 7 | Stamps and Registration | From Stamps and Registration | 100 x revenue collected as a % of GSDP | Rs.crores 8538 | | 1.44% of GSDP | |
| 8 | Taxes on vechicles | i) From Light weight motor vehicles | 100 x revenue collected as a % of GSDP | Rs. Crores 1115 | | 0.19 % of GSDP | |
| 9 | | (ii) From Heavy weight motor vehicles | | Rs. Crores 1028 | | 0.17% of GSDP | |

GSDP for 2007-08 at current prices is Rs. 590995 based on estimated figures received from Directorate of Economics & Statistics.